FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई मुकाम अराई (अजमेर)

- भंवरलाल पुत्र रामदेव जाति तेली निवासी ग्राम अराई तहसील अराई जिला अजमेर

–प्रार्थी

बनाम

- राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान व अन्य

–अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा– धारा 131,136 राज0 भू0राज0 अधि0 1956

नंबर 37/2025

ऑनलाइन नंबर 2025/...........

वकील प्रार्थी:– अशोक कुमार शर्मा वकील अप्रार्थीगण........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
15.4.2025	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से वकील प्राथी श्री अशोक कुमार शर्मा ने अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राज.अधि. 1956 के तहत पेश किया गया। प्रा. पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्राथीगणों की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 30/5/25 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी अराई	
30/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। P.O. स्वयं मुख्यालय/राजकार्य/टूर/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार........ दिनांक 20/6/25 को पेश हो।	
20/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप.। पुनः तलबी जारी हो पत्रावली दिनांक 8/8/25 को पेश हो [signature] उपखण्ड अधिकारी अराई	
3.8.25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। अप्रार्थी 3,4,5 ने उपस्थित होकर वास्ते जवाब [illegible] [illegible] वास्ते [illegible] पत्र प्रस्तुत किया तथा अप्रार्थी सं. 2 का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली हो। पत्रावली दिनांक 11.9.25 को पेश हो। [signature]	

10/9/25. पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित।
पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त हो चुका है।
प्रतिवादी संख्या 2 का मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त
हो चुका है। पत्रावली दिनांक 24/9/25 को पेश हो।

24/9/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। वकील
प्रार्थी को अंतिम बहस पर सुना गया। वकील
प्रार्थी द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 की फौत होना बताकर
जिसके आश्रितान उत्तराधिकारी 5 प्रतिवादी के रूप में
पहले से ही पक्षकार हैं। अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र
स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से तैयार किया
जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली
फैसला सुनाया खुले न्यायालय में गया।

न्यायालय उपखंड अधिकारी अराई अजमेर

राजस्व वाद संख्या 37/2025

अन्तर्गत धारा 131,136 भू–राजस्व अधि0 1956

भंवरलाल पुत्र रामदेव जाति तेली निवासी ग्राम अराई तहसील अराई जिला अजमेर राज0

प्रार्थीगण

बनाम्

1. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब, अराई, जिला अजमेर राज
2. गंगा पत्नि स्व0 छोटू
3. छीतर पुत्र छोटू
4. जरसा पुत्र छोटू
5. रतन पुत्र छोटू

सर्वजाति भील सर्वनिवासीगण ग्राम अराई तहसील अराई जिला अजमेर राज.

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 131,136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 25/9/25

संक्षिप्त में वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राज.अधि. 1956 के तहत वकील श्री अशोक शर्मा एडवोकेट ने पेश किया जिसमें प्रार्थी अधिवक्ता ने जाहिर किया कि प्रार्थी / खातेदार के स्वामित्व, आधिपत्य एव खातेदारी की कृषि भूमि वाके राजस्व ग्राम अराई पटवार हल्का अराई भूअभि. नि. क्षेत्र अराई तहसील अराई जिला अजमेर राज में खसरा नम्बर 3493/1480 की स्थित है जो प्रार्थी की खातेदारी की है जिसके पुराने खसरा नं 1480/1 है। उक्त खसरा नम्बर 1480/1 के नक्शा ट्रेस सम्वत 2027 में जो भूमि दशाई गई है उस भूमि को सेमीग्रेशन नक्शे में खसरा नं. 3495/1480 से दर्शित किया गया है जो भूमि वर्तमान प्रार्थी के नाम दर्शित नहीं होकर अन्य व्यक्ति अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 के नाम सहवन से अंकित हो गई है जबकि उक्त भूमि प्रार्थी की भूमि है जो सम्वत 2027 के नक्शे में खसरा नं. 1480/1 में दर्शित है। सेमीग्रेशन नक्शे में हुई त्रुटी को सम्वत 2027 के नक्शे व जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जिसकी पुष्टि सेमीग्रेशन नक्शे व नक्शा सम्वत 2027 से की जा सकती है। प्रार्थी को उक्त नक्शे में हुई त्रुटि की जानकारी तब हुई जब प्रार्थी ने ऑनलाईन नक्शा व जमाबन्दी निकलवाई तब प्रार्थी को पता चला कि राजस्व अधिकारियों / पटवारी ने गलत तौर पर बिना प्रार्थी / खातेदार की सहमति के उक्त नक्शा ट्रेस में उक्त त्रुटी की है, जो सरासर गलत एवं अविधिक है। जिस कारण प्रार्थी को भयंकर नुकसान उत्पन्न हो रहा है।हल्का पटवारी द्वारा जानबूझकर एंव बदनियतिपूर्वक राजस्व नक्शा ट्रेस में प्रार्थी / खातेदार की कृषि भूमि के नवों में गलत तौर पर उक्त परिवर्तन किया है जबकि उक्त राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में राजस्व कानून के अनुसार हल्का पटवारी को किसी भी राजस्व अधिकारी ने उक्त त्रुटी करने बाबत किसी भी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया गया है तथा राजस्व रिकार्ड नक्शा में पटवारी महोदय द्वारा छेडछाड करके तथा प्रार्थी को नुकसान पहुंचाने की मंशा से नक्शा में गलत तौर पर परिवर्तित किया है। उक्त राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस को दुरूस्त करके एवं शुद्धी करके पूर्व की भांती नक्शा ट्रेस व राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कराने बाबत् यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।प्रार्थी के उपरोक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित राजस्व ग्राम अराई पटवार हल्का अराई भू.अभि. नि. क्षेत्र अराई तहसील अराई जिला अजमेर राज में खसरा नम्बर 1395/1480 की कृषि भूमि के सेमीग्रेशन नक्शे को दुरूस्त करके पूर्व की भांती राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस को दुरूस्त किये जाने हेतु प्रार्थी के पक्ष में आदेश प्रदान फरमाया जायें एवं प्रार्थी का दावा डिकी किया जाकर राजस्व रिकार्ड में हुई त्रुटी को दुरूस्त करने बाबत् रिकार्ड में दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया है ।

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण दिनांक 27.8.2024को दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण के सम्मन नोटिस दिनांक 4.7.2025को प्राप्त हुए तथा 20.8.2025 को अप्रार्थीगण 1 लगायत 9 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई ।

पेरोकार सरकार के जवाब अनुसार प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में ग्राम अराई तहसील अराई के खसरा नं. 3493/1480 भंवरलाल पुत्र रामदेव जाति तेली के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। जिसकी जमाबन्दी नकल संलग्न है। खसरा नं. 3493/1480 के पुराने खसरा नं. 1480/1 है ग्राम अराई के पुराने नक्शे में उक्त तरमीम पेन्सिली हो रखी है एवं लट्ठा शीट जीर्ण शीर्ण स्थिति में है ।

दिनांक 8.8.2025 को अप्रार्थी संख्या 3,45 ने सहमति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा अप्रार्थी संख्या 2 का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न किया ।

हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। तहसीलदार अराई के जवाब तथा संलग्न नक्शानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार अराई को आदेश दिये जातें है कि राजस्व ग्राम अराई तहसील अराई के खसरा नं0 3495/1480 की कृषि भूमि के सेग्रीगेशन नक्शे को दुरूस्त कर पूर्व की भांति राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस को दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार अराई की रिपोर्ट अन्तिम आदेश का भाग रहेगी तथा उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में अमल दुरूस्ती की जायेगी।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner